न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 74/23

वादी :–
1–श्रवणराम पुत्र हजारीराम जाति गुर्जर
निवासी देवगढ तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–
1–भारमल पुत्र हजारीराम
2–चौथाराम पुत्र हजारीराम
3–मेवाराम पुत्र हजारीराम
4–सुखदेव पुत्र भैरूराम
5–तेजाराम पुत्र भैरूराम
6–जगरूप पुत्र भैरूराम
7–सुगनीदेवी पत्नी भैरूराम
8–सरूपीदेवी पुत्री भैरूराम
9–न्यालीदेवी पुत्री भैरूराम
10–फुलादेवी पुत्री भैरूराम
11–पप्पूदेवी पुत्री भैरूराम
12–पांचीदेवी पुत्री हजारीराम
13–हापुदेवी पुत्री हजारीराम
सभी जातियान गुर्जर निवासीगण देवगढ तहसील रियांबड़ी
14–तहसीलदार रियांबड़ी
15–पटवारी हल्का टेहला तह.रियांबड़ी।

वकील वादी:– श्री भंवरलाल खान
वकील प्रतिवादीगण :– श्री अयूब खान

दावा बाबत खातेदारी घोषणा अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 8/4/24

वादी निम्न वाद प्रस्तुत करता है :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 एक ही परिवार के सदस्य है। सभी हिन्दु तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है।

2–यह है कि ग्राम देवगढ की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 240 रकबा 3.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 239 रकबा 1.78 हैक्टर कुल रकबा 4.8600 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। उक्त खसरान की भूमि वाद में आगे विवादित खसरान के नाम से सम्बोति की जायेगी।

3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी के दादा कानाराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। कानाराम जी के देहान्त के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी के पिता हजारीराम व उनके भाई मोतीराम जी को उतराधिकार में प्राप्त हुई। मोतीराम जी के कोई जायन्दा संतान नहीं थे। जिससे मोतीराम जी के देहांत के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वदी के पिता हजारीराम को उतराधिकार में प्राप्त हुई तथा वादी के पिता हजारीराम जी के देहान्त

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 को उतराधिकार में प्राप्त हुई। मगर मोतीराम जी के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी में दर्ज भूमि का नामान्तकरण गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम चौथाराम पुत्र मोतीराम दर्ज कर दिया गया, जबकि चौथाराम मोतीराम का पुत्र नहीं था तथा हजारीराम जी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम चौथाराम पुत्र हजारीराम दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जबकि वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 को समान रूप से हक व अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 की पैतृक भूमि है।

4–यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 7 से 13 अपने अपने ससुराल रहती है तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में अपने हक व बंट की ऐवज में सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली है। जिससे वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 7 से स13 का कोई हक,बंट, अधिकार काश्त व कब्जा नहीं है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 का 1/5 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का काश्त कब्जासुद है।

5–यह है कि वर्तमान जमाबंदी में खसरा नंबर 239 की खातेदारी में केवल प्रतिवादी संख्या 2 का ही नाम दर्ज है। मगर मौके पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 का संयुक्त रू॰ से काश्त व कब्जा है। तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 5 का 1/5 हिस्सा है।

6–यह है कि वादग्रस्त खसरान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 के पैतृक भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 को समान रूप से हक व अधिकार प्राप्त हैतथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 5 का 1/5 हिस्सा है।

7–यह है कि उक्त गलत खातेदारी इन्द्राज की जानकारी नही थी। अभी कुछ समय पूर्व जब वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की,तब वादी को खसरा नंबर 239 की खातेदारी में सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। जिस पर वादी ने अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 14 से 15 से सम्पर्क कर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 14 से 15 ने इंकार कर दिया। जिससेवादी को न्यायालय की शरण में आना जरूरी हुआ। अतः दावा हाज पेश है।

8–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न लिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें :–

ए–यह हैकि मौजा देवगढ की सरहद में स्थित खसरा नंबर 240 रकबा 3.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 239 रकबा 1.7800 हैक्टर कुल रकबा 4.8600 हैक्टर में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 5 का 1/5 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का काश्त व कब्जासुद घोषित किया जावें तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद किया जावें।

बी–यह है कि अन्य जो भी प्रार्थना वाद के हक में हो ,सादिर फरमायी जावें।

वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। दिनांक 27.3.2023 को वादी मय वकील तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 मय वकील के उपस्थित न्यायालय होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। जो बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 एक ही सिजरा खानदान से है। केवल मोतीराम जी के

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

देहान्त के बाद उनकी खातेदारी में गलत नामान्तकरण से चौथाराम का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। इसलिए पक्षकारान ने आपसी सहमति से अपने नाम कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है। पक्षकार आपस में सहमत है। प्रतिवादीगण संख्या 7 से 13 ने वादग्रस्त आराजी में अपना कोई बंट,हक,अधिकार नहीं रखा है। क्योंकि वह अपने अपने ससुराल रहती है। सभी पक्षकार राजीनामा पेश कर दिया गया है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के बीच 1/5–1/5 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

वकील वादी की बहस समायत की गई। पत्रावली के संलग्न मौजा देवगढ की जमाबंदी संवत् 2073–76 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि खसरा नंबर 240 की खातेदारी संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 239 की खातेदारी चौथाराम पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज है। जबकि मोतीराम नाऔलाद फौत हो गया था। चौथाराम का गलत खातेदारी का ईन्द्राज हुआ है। वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है और कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है। पैतृक भूमि की उनके विधिक वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज करना वाजिब है। प्रतिवादी संख्या 7 से 13 पत्नी व पुत्रियां है इसलिए उन्होने अपने बंट की ऐवज में सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली हैऔर अपना कोई हक बंट व अधिकार नही रखा गया है।

समस्त विवेचन से वादी का वाद का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से खातेदारी की घोषणा की जाती है।

"मौजा देवगढ के खसरा नंबर 240 रकबा 3.0800 हैक्टर व खसरा नंबर 239 रकबा 1.7800 कुल रकबा 4.8600 हैक्टर की भूमि में वादी का 1/5 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का का 1/5–1/5 हिस्सा तथा 1/5 प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का संयुक्त रूप से खातेदारी में रहेगा।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम खातेदारी का ईन्द्राज राजस्व रेकार्ड में किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–सिरोही